



बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय ताल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खां मार्म, पटना-800 014
 संख्या—वसं-175

प्रेषक,

अरविन्दर कुमार, भा०व०से०,
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
 –सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
 बिहार, पटना।

सेवा में

वन संरक्षक,
 भागलपुर अंचल, भागलपुर।

पटना-14, दिनांक—०५/०३/२०२२

विषय : रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिंग द्वारा शेखपुरा-बरबीघा पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.27126 हेतु वन भूमि का 'स्टेट कॉडिनेटर, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिंग, बिहार, पटना' के पक्ष में अपयोजन के प्रस्ताव पर सौदान्तिक स्थीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 11-09/98 FC दिनांक 07.09.2015 पत्रांक FC-11/165/2019-FC दिनांक 27.07.2020 के आलोक में तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, के पत्रांक 110 (ई०) दिनांक 17.02.2022 द्वारा विषयाकृत प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेंसी को Stage-I स्थीकृति निर्गत करने हेतु सहमति संसूचित की गयी है।

तदालोक में निम्नलिखित शर्तों के साथ रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिंग द्वारा शेखपुरा-बरबीघा पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु 0.27126 हेतु वन भूमि अपयोजन की सौदान्तिक सहमति प्रदान की जाती है—

- (i) अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
- (ii) वर्तमान में इस परियोजना में NPV मद की राशि जमा करने से प्रयोक्ता एजेंसी को छूट प्रदान की गयी है, परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा संशोधन या NPV के दर में वृद्धि होने पर राशि जमा करने के संबंध में प्रयोक्ता एजेंसी को वचनबद्धता देनी होगी कि उनके द्वारा अतिरिक्त/अन्तर की राशि जमा की जायेगी।
- (iii) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।
- (iv) वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी भी निर्माण सामग्री निकालने के लिये नहीं किया जायेगा, और न ही अपशिष्ट निर्माण सामग्री को वन भूमि पर फेंका जायेगा।
- (v) वन क्षेत्र के अन्दर निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिये अतिरिक्त अथवा नये पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।
- (vi) परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
- (vii) वन क्षेत्र के भीतर मजदूरों का निवास स्थान (Labour Camp) नहीं बनाया जायेगा।

- (viii) वन क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मजदूरों को ईधन आपूर्ति का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा। प्रयोक्ता एजेंसी के क्षेत्रीय निरीक्षक/स्थानीय वन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वन एवं वन्य प्राणियों को प्रयोक्ता एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियोजित मजदूर/कार्य एजेंसी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं।
- (ix) वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- (x) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी अन्य शर्तों का अनुपालन किया जायेगा, जो समय-समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे।
- (xi) यदि इस विषय पर पर्यावरण सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्तें आवश्यक होगी तो कालान्तर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी के लिये यह वाध्यकारी होगा।
- (xii) उपभोक्ता अभिकरण (इस मामले में स्टेट कॉडिनेटर, रिलायंस जियो इनफोकॉम लिं. बिहार, पटना के पक्ष में) अपयोजित वन भूमि को किसी भी अन्य व्यक्ति/प्राधिकार/ विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवृट्टन/हस्तान्तरण/अभ्यर्पण (assignment) नहीं करेगी।
- अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश Laying of underground optical fiber cable पाइप लाइन के लिये सामान्य स्वीकृति के तहत अपयोजन की शक्ति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को देने के क्रम में अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जाता है।
- उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर के माध्यम से प्राप्त होने के पश्चात विषयाकृत परियोजना के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के तहत अन्तिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी। नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा वन भूमि अपयोजन की अन्तिम स्वीकृति आदेश अथवा Working permission निर्गत करने के पश्चात ही उक्त वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य किया जायेगा।

विश्वासमाजन,

५०/-

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापाक—व.सं.—175 दिनांक 08/03/2022

प्रतिलिपि: वन प्रमडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमडल जमुई/ स्टेट कॉडिनेटर, रिलायंस जियो इनफोकॉम लिं. बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

५०/-
(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापाक—व.सं.—175 दिनांक 08/03/2022

प्रतिलिपि: अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

५०/-
(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-व.सं-१९५ दिनांक ०४/०३/२०२२

प्रतिलिपि: प्रधान संधिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनाथ प्रेषित।

११/३/२२
(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

०/८